संख्या-122/2024/1410/सैंतीस-2-2024/001-1(22)/07टीसी

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-18 जुलाई, 2024

विषयः- **गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (सामान्य) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-141/प.-2/22/1/4/2024-25, दिनांक-21.06.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-07-गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैंः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
08-कार्यालय व्यय	10.00
09-विद्युत देय	40.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	10.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20.00
29-अनुरक्षण	30.00
39-औषधि तथा रसायन	50.00
42-अन्य व्यय	30.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	500.00
योग-	**800.00**

(रूपये आठ करोड़ मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
4. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
8. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001020700 (गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार	09 विद्युत देय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)

		तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)		
3	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	13 टेलीफोन पर व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
5	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
6	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
7	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	29 अनुरक्षण	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
8	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	39 औषधि तथा रसायन	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
9	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	42 अन्य व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)

10	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
	कुल			**8,00,00,000** **(रुपये आठ करोड़ मात्र)**

महायोग	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-122/2024/1410(1)/सैंतीस-2-2024/001-1(22)/07टीसी, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. सम्बन्धित उप निदेशक/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-122/2024/1410/सैंतीस-2-2024/001-1(22)/07टीसी, दिनांक-18 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (2024-25)

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	29-अनुरक्षण	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मेरठ	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	9.315	12.698
2	बागपत	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	4.968	8.351
3	गाजियाबाद	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	5.565	8.948
4	गौतमबुद्धनगर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	3.910	7.293
5	बुलन्दशहर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	8.317	11.700
6	हापुड	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	3.197	6.580
7	सहारनपुर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	7.084	10.467
8	मुजफ्फरनगर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	7.268	10.651
9	शामली	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.588	9.971
10	मुरादाबाद	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	7.498	10.881
11	अमरोहा	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	5.212	8.595
12	रामपुर	0.158	0.000	0.158	0.158	3.000	0.316	0.324	0.665	0.474	4.738	9.991
13	बिजनौर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.000	0.266	0.324	0.665	0.399	9.706	12.759
14	सम्भल	0.133	0.000	0.133	0.133	1.000	0.266	0.324	0.665	0.399	8.372	11.425
15	बरेली	0.133	0.000	0.133	0.133	1.110	0.266	0.324	0.665	0.399	9.000	12.163
16	बदायूं	0.133	0.000	0.133	0.133	1.110	0.266	0.324	0.665	0.399	8.673	11.836
17	शाहजहांपुर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	8.188	11.571
18	पीलीभीत	0.133	0.000	0.133	0.133	1.000	0.266	0.324	0.665	0.399	3.450	6.503
19	अयोध्या	0.133	0.000	0.133	0.133	1.000	0.266	0.324	0.665	0.399	5.221	8.274
20	अम्बेडकर नगर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.000	0.266	0.324	0.665	0.399	7.613	10.666
21	सुल्तानपुर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	8.340	11.723
22	बाराबंकी	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	11.000	14.383

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	**अमेठी**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.566	9.949
24	**गोण्डा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	8.395	11.778
25	**बलरामपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	3.496	6.879
26	**बहराइच**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.624	10.007
27	**श्रावस्ती**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	4.220	7.603
28	**बस्ती**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	3.657	7.040
29	**संतकबीर नगर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.000	0.266	0.324	0.665	0.399	2.300	5.353
30	**सिद्धार्थ नगर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	2.323	5.706
31	**गोरखपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	5.727	9.110
32	**महराजगंज**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	2.415	5.798
33	**देवरिया**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	4.255	7.638
34	**कुशीनगर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	3.611	6.994
35	**प्रयागराज**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	12.294	15.677
36	**कौशाम्बी**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	4.623	8.006
37	**फतेहपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	7.590	10.973
38	**प्रतापगढ**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	7.314	10.697
39	**झांसी**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.509	9.892
40	**ललितपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.325	9.708
41	**जालौन**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.095	9.478
42	**बांदा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	5.000	8.383
43	**चित्रकूट**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	4.300	7.683
44	**हमीरपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	3.300	6.683
45	**महोबा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.690	0.399	3.300	6.708
46	**लखनऊ**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.344	0.665	0.399	5.221	8.624
47	**उन्नाव**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	8.924	12.307
48	**रायबरेली**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.715	0.399	8.257	11.690
49	**हरदोई**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	9.960	13.343
50	**सीतापुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	8.947	12.330
51	**खीरी**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	9.776	13.159
52	**आजमगढ**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.591	9.974
53	**मऊ**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	3.404	6.787

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

54	**बलिया**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	7.245	10.628
55	**वाराणसी**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.164	9.547
56	**जौनपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	9.474	12.857
57	**गाजीपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	8.108	11.491
58	**चन्दौली**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.118	9.501
59	**मिर्जापुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	7.935	11.318
60	**सोनभद्र**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	5.888	9.271
61	**संतरविदास नगर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	3.542	6.925
62	**कानपुर नगर**	0.133	0.000	0.133	0.133	2.330	0.266	0.324	0.665	0.399	9.444	13.827
63	**कानपुर देहात**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	9.843	13.226
64	**फर्रूखाबाद**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	6.000	0.665	0.399	5.290	14.349
65	**इटावा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.715	0.399	6.738	10.171
66	**कन्नौज**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.141	9.524
67	**औरैया**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	7.646	11.029
68	**आगरा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	12.440	15.823
69	**मथुरा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	9.371	12.754
70	**मैनपुरी**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.578	9.961
71	**फिरोजाबाद**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	7.729	11.112
72	**कासगंज**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	6.900	10.283
73	**एटा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	7.797	11.180
74	**अलीगढ**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.324	0.665	0.399	8.673	12.056
75	**हाथरस**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.330	0.266	0.328	0.665	0.399	6.394	9.781
76	**आहरण-वितरण अधिकारी मुख्यालय**	0.000	40.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40.000
योग-		**10.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**100.000**	**20.000**	**30.000**	**50.000**	**30.000**	**500.000**	**800.000**

(रूपये आठ करोड़ मात्र)

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।